न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:--श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 275 / 2018 दायर दिनाँक 03.08..2018

वादी		प्रतिवादी
जयभागीरथराम पुत्र कानाराम, उम्र--64साल, जाति--कुम्हार, निवासी--डीडवाना, जिला--नागौर, राजस्थान, हाल.निवासी--इण्डोलाव की ढाणी, तहसील--डीडवाना, जिला--नागौर, राजस्थान।	बनाम	1.तहसीलदार डीडवाना, जिला--नागौर, राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी खातेदारी,

अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

रिकॉर्ड दुरस्तीकरण अन्तर्गत सपठित धारा 136 R.L.R. Act.

उपस्थित:--

1. श्री शिवभगवान चौधरी, वकील, वादी।

--:: निर्णय ::--

दिनाँक14.08.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद जानकीपुरा पटवार हल्का बालिया भू--अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बी कलाँ जिला नागौर राजस्थान में खसरा नम्बर 1075 / 104 रकबा 11.10 बीघा भूमि अवस्थित है, जो कि वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज है। प्रमाणित नकल खतौनी सम्वत् 2070--2073 तक वाद के साथ पेश है।

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि के पड़ौस में स्थित भूमि खसरा नम्बर 103 व 104 की भूमि अवस्थित है जिनमें आने--जाने हेतु मौके पर रास्ता, खसरा नम्बर 1075 / 104 रकबा 11.10 बीघा भूमि में से होकर जाता है जो कि आपसी सहमति व भाईबन्टवारे के मुताबिक है। ये रास्ता एक कदीमी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद संख्या 275/2018
दायर दिनाँक03.08.2018 निर्णय दिनाँक14.08.2018
भागीरथराम बनाम् तहसीलदार।

रास्ता है जिसको गैरमुमकिन रास्ता की भूमि घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाने बाबत् वाद प्रस्तुत है।

वादग्रस्त भूमि शरहद जानकीपुरा पटवार हल्का बालिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बी कलॉं जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 1075/104 रकबा 11.10 बीघा भूमि के नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी के मुताबिक रास्ता, जो चौड़ाई में 20 फीट व लम्बाई में 664 फुट वादी के खेत के उत्तरी सीमा के पास–पास से होकर रकबा में पूर्व–पश्चिम की दिशा की ओर तक की भूमि को, गैरमुमकिन रास्ता घोषित किया जावे तथा रकबा को शेष भूमि वादी के नाम से यथावत् ही राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज रखी जावे। वादवर्णित रास्ता वर्तमान में मौके पर मौजूद है जिसको राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जाना ही शेष है जिसमें किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है, जिस हेतु वाद पेश किया गया है।

राजस्व कर्मचारियों की भूलवश वादी भागीरथराम पुत्र काना का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है जिसे भागूराम पुत्र कानाराम दुरस्त किया जावे जिस हेतु भी वाद पेश किया गया है।

मामला आवश्यक प्रकृति का होंने के कारण से राज्य–सरकार को धारा 80 (2) सी0पी0सी0 के नोटिस के बगैर पेश किया गया है, परन्तु इस में राज्य–सरकार से किसी प्रकार की दादरसी नहीं चाही गयी है इसलिए उन्हें उक्त नोटिस नहीं दिया जाकर केवल प्रतिवादी बतौर पक्षकार बनाया गया है।

अनुतोष–

शरहद जानकीपुरा पटवार हल्का बालिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बी कलाँ जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 1075/104 रकबा 11.10 बीघा भूमि में से गैरमुमकिन रास्ता की भूमि वाद संलग्न नजरीनक्शा में दर्शित भूमि मार्क ए बी सी डी के मुताबिक घोषित किया जावे, जो कि रास्ता की भूमि चौड़ाई में 20 फीट व लम्बाई 664 फीट का है जिसका क्षेत्रफल 13280 वर्गफीट (रकबा 0.15 बीघा) रहेगा। वादी की शेष खातेदारी भूमि का रकबा 10.15 बीघा रहेगा जो वादी के नाम से यथावत् जारी रहेगा।

वादी भागीरथराम पुत्र काना का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है जिसे भागूराम पुत्र कानाराम दुरस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 275 / 2018
दायर दिनाँक03.08.2018,निर्णय दिनाँक14.08.2018
भागीरथराम बनाम् तहसीलदार।

न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

वादी ने वाद के समर्थन मे शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, जमाबन्दी ग्राम जानकीपुरा सम्वत 2070–73 खेवट 55 / 149 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शाट्रेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, मतदाता पहचान–पत्र संख्या MTW / 1253178 निर्वाचक–भागूराम की प्रमाणित प्रतिलिपि, भारत–सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 483310271153 नाम–भागूराम की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

विद्वान वकील वादी की एकपक्षीय सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकील वादी की दलील है कि, इस्तगत वाद को स्वीकार किया जाकर मौके पर पुराने समय से वाद वर्णित रास्ता वर्तमान में कायम है जिसे वाद संलग्न नजरीनक्शा मे वर्णित मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जावे जो कि वादग्रस्त भूमि शरहद जानकीपुरा के खसरा नम्बर 1075 / 104 रकबा 11.10 बीघा मे से नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी भूमि को गैरमुमकिन रास्ते की भूमि घोषित किया जावे उक्त रकबे की शेष भूमि का खातेदार वर्तमान खातेदार वादी को ही खातेदार घोषित किया जावे। इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज वादी के नाम "भागीरथराम पुत्र काना" को "भागूराम पुत्र कानाराम" भी दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में भी इसी अनुरूप दुरस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तर्क वकील वादी पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया

उपर्युक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य वादी के अवलोकन किया जाकर उन पर बाद विचार किया गया। वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादी की इस्तदुआ है कि, शरहद जानकीपुरा के खसरा नम्बर 1075 / 104 रकबा 11.10 बीघा में से नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी भूमि को गैरमुमकिन रास्ते की भूमि घोषित किया जावे तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के नाम "भागीरथराम पुत्र काना" को "भागूराम पुत्र कानाराम" दुरस्त किया जावे। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि शरहद जानकीपुरा के खसरा नम्बर 1075 / 104 रकबा 11.10 बीघा में से, नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी भूमि जो कि लम्बाई में 664 फुट व चौड़ाई में 20 फुट कुल क्षेत्रफल 13280 वर्गफुट अर्थात रकबा 0.15 बीघा है, को गैरमुमकिन रास्ते की भूमि घोषित किया अज अदालत को न्यायाचित लगता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 275/2018
दायर दिनाँक03.08.2018,निर्णय दिनाँक14.08.2018
भागीरथराम बनाम् तहसीलदार।

वादी का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में "भागीरथराम पुत्र काना" दर्ज है जिसे वादी "भागूराम पुत्र कानाराम" दुरस्त करवाना चाहता है, जिसके पक्ष में वादी द्वारा पेश दस्तावेजात् का अवलोकन किया जाने से लगता है कि, वादी का नाम "भागीरथराम पुत्र काना" के स्थान पर "भागूराम पुत्र कानाराम" दुरस्त किया जाना उचित है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, वादी के हक में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद जानकीपुरा के वादवर्णित/वादग्रस्त खसरा की भूमि की वर्तमान खातेदारी इसके स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–,

1. खसरा नम्बर 1075/104 रकबा 11.10 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के नाम "भागीरथराम पुत्र काना" के स्थान पर "भागूराम पुत्र कानाराम" दुरस्त किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 1075/104 रकबा 11.10 बीघा भूमि, में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि मार्क ए बी सी डी जो कि लम्बाई में 664 फुट व चौड़ाई में 20 फुट व क्षेत्रफल 13280 वर्गफुट अर्थात् रकबा 0.15 बीघा भूमि को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि घोषित की जाती है तथा इस रकबे की शेष भूमि रकबा 10.15 बीघा को वर्तमान खातेदार भागूराम पुत्र कानाराम के नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रखी जावे।

उपर्युक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की जावे। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **14.08.2018** को सरे इलजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 275 / 2018 दायर दिनाँक 03.08..2018

वादी		प्रतिवादी
1. भागीरथराम पुत्र कानाराम, उम्र—64साल, जाति—कुम्हार, निवासी—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, हाल निवासी—इण्डोलाव की ढाणी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1.तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी खातेदारी,
अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.
रिकॉर्ड दुरस्तीकरण अन्तर्गत सपठित धारा 136 R.L.R. Act.

दिनाँक 14.08.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शिवभगवान चौधरी, वकील, वादी ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद जानकीपुरा के वादवर्णित / वादग्रस्त खसरा की भूमि की वर्तमान खातेदारी इसके स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:—,

1. खसरा नम्बर 1075 / 104 रकबा 11.10 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के नाम "भागीरथराम पुत्र काना" के स्थान पर "भागूराम पुत्र कानाराम" दुरस्त किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 1075 / 104 रकबा 11.10 बीघा भूमि, में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि मार्क ए बी सी डी जो कि लम्बाई में 664 फुट व चौडाई में 20 फुट व क्षेत्रफल 13280 वर्गफुट अर्थात् रकबा 0.15 बीघा भूमि को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि घोषित की जाती है तथा इस रकबे की शेष भूमि रकबा 10.15 बीघा को वर्तमान खातेदार भागूराम पुत्र कानाराम के नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रखी जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपर्युक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की जावे। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व भारह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.08.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमि नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमि नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner